बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक– 4/STA–P3–432/2013 परि0–7440 /पटना,दिनांक–26/11/18

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार–पश्चिम बंगाल, बिहार–उत्तर प्रदेश एवं बिहार–छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति के निमित्त दिनांक–06.07.2018 एवं 24.07.2018 को सम्पन्न राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में/बैठक के उपरान्त कतिपय आवेदनों पर आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिन पर सुनवाई हेतु राज्य परिवहन आयुक्त को प्राधिकृत किया गया था। आपत्तियों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा करते हुए, सुनवाई की कार्यवाही तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी है।

आवेदनों की सुनवाई के पश्चात् जिन आवेदनों पर अंकित वाहनों के पक्ष में परमिट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उनके वाहन स्वामी, वाहन से संबंधित एवं अन्य सभी अद्यतन कागजात परिवहन विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर दिनांक–20.12.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित समय एवं तिथि के उपरान्त समर्पित किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं दिनांक–21.12.2018 से उनका स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

परमिट निर्गमन हेतु समर्पित आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सूची विभागीय वेबसाइट http://transport.bih.nic.in पर प्रकाशित कर दी गयी है।

26/11/18

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

परमिट स्वीकृति के उपरांत परमिट निर्गमन हेतु आवेदन पत्र के साथ वांछित संलग्न कागजातों की सूची :–

1. अधिभार शुल्क– मार्ग की दूरी के अनुसार
2. परमिट शुल्क– Rs. 7000/-
3. प्रक्रिया शुल्क– Rs. 1000/-
4. वाहन का निबंधन प्रमाण–पत्र।
5. अद्यतन कर–प्रतीक
6. अद्यतन दुरूस्ती प्रमाण–पत्र
7. अद्यतन बीमा प्रमाण–पत्र
8. आवासीय प्रमाण–पत्र
9. PAN कार्ड
10. बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
11. आधार कार्ड / मतदान पहचान–पत्र
12. M.V.I रिपोर्ट
13. लेबर लाईसेंस
14. पेशा–कर
15. कार्यालय द्वारा निदेशित विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र
16. 250 KM से अधिक मार्ग की दूरी पर दो चालक का उपयोग किए जाने संबंधी शपथ–पत्र
17. वाहन का स्लीपर श्रेणी का नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र
18. पूर्व परमिट प्रत्यर्पण प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
19. लीज एग्रीमेंट की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)
20. वाहन स्वामी का पासपोर्ट साईज का फोटो (तीन प्रति में)

No. 73/ 22/11/18

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–31.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
1	(घ–5) 1	अन्तर्राज्यीय मार्ग	आरा से अम्बिकापुर भाया–बिक्रमगंज, सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज एवं रामानुजगंज	श्री सुन्दर प्रसाद	BR-26F-9525	12.30PM	8.40PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों अनुपस्थित। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता को पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक–26.11.2018 को अपराह्न 3:30PM बजे से सुनवाई हेतु सूचना प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

No. 7372 22/11/18

दिनांक 24.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–31.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
1	(ख–8) 5	अन्तर्राज्यीय मार्ग	मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी भाया–ठाकुरगंज	श्री चन्द्रभूषण शर्मा	BR-06PC-7235 BR-06PC-7236	9.05PM	6.05PM	आवेदक वाहन स्वामी उपस्थित। आपत्तिकर्ता श्रीमती सीमा कुमारी एवं श्री एम0 कुमार अनुपस्थित। आपत्ति की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक–24.10.2018 एवं पुनः दिनांक–31.10.2018 को आपत्तिकर्ताओं के अनुपस्थित रहने के कारण आपत्ति अस्वीकृत। वाहन स्वामी श्री चन्द्रभूषण शर्मा के वाहनों के पक्ष में समझौता भाग्य के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

~~जाँच~~ करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–24.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
1	(क–1) 2	अन्तर्राज्यीय मार्ग	मोतिहारी से सिल्लीगुड़ी भाया– दरभंगा, प्रतापगंज	श्री जितेन्द्र शर्मा	BR-06PC-5065 BR-06PC-5066	1.30PM	3.50PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1.30PM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों की सहमति के आधार पर मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1.40PM करते हुए समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
2	(क–1) 7	अन्तर्राज्यीय मार्ग	मोतिहारी से सिल्लीगुड़ी भाया– दरभंगा, प्रतापगंज	कुमार मॉडर्न ट्रा0 लि0	BR-55A-1666 BR-06P-8675	111.30AM	4.10PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1.00PM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति वापस ली गयी। तदनुसार आवेदक द्वारा समर्पित प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
3	(क–1)11	अन्तर्राज्यीय मार्ग	मोतिहारी से सिल्लीगुड़ी भाया– दरभंगा, प्रतापगंज	मो0 अबसार आलम	Ch-MAT449259G0G05051 En-61G843234556 Ch-MAT449259G0G05153 EN-61G8432374	12.10PM	1.00PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 1.00PM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों की सहमति के आधार पर सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 1.20PM करते हुए पूरे मार्ग पर संशोधन की शर्त के साथ समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
4	(क–6) 2	अन्तर्राज्यीय मार्ग	पटना से सिल्लीगुड़ी भाया–मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	BR-06PC-7981 BR-06PC-7982	5.30PM	5.30PM	निगम के प्रतिनिधि एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 5.30PM पर आपत्ति। सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 5.20PM करते हुए समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–24.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरांत राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
5	(क–6) 4	अन्तर्राज्यीय मार्ग	पटना से सिल्लीगुड़ी भाया–मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	Ch-MAT4492F0G0E03501 En-61D84301465 Ch-MAT449265F0J06531 En-51J84251402	5.30PM	5.30PM	निगम के प्रतिनिधि एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 5.30PM पर आपत्ति; सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 5.20PM करते हुए समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
6	(क–6) 5	अन्तर्राज्यीय मार्ग	पटना से सिल्लीगुड़ी भाया–मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	BR-31GA-9090 BR-31GA-1212	5.30PM	5.30PM	निगम के प्रतिनिधि एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 5.30PM पर आपत्ति। सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 5.20PM करते हुए समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
7	(ङ–8)1	अन्तर्राज्यीय मार्ग	राजगीर से कोलकाता भाया– हजारीबाग, धनबाद, दुर्गापुर, बर्द्धमान	श्रीमती अंजू सिंह	BR-25P-9495	5.30PM	8.30	आवेदिका के प्रतिनिधि उपस्थित। पहुँच विन्दु के प्रस्थान समय को 8:30PM किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार कोलकाता से प्रस्थान का समय 8:30PM करते हुए मद संख्या (ङ–8)2 के साथ मिलाकर समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत ।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
प्रधाधिकारी का हस्ताक्षर

पत्रांक 22/11/18

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–24.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
8	(ङ–8)2	अन्तर्राज्यीय मार्ग	राजगीर से कोलकाता भाया– हजारीबाग, धनबाद, दुर्गापुर, बर्द्धमान	श्री मनोज कुमार सिंह	BR-25P-9700	5.30PM	8.30	आवेदिका के प्रतिनिधि उपस्थित। पहुँच बिन्दु के प्रस्थान समय को 8:30PM किये जाने हेतु अनुरोध किया गया । तदनुसार कोलकाता से प्रस्थान का समय 8:30PM करते हुए मद संख्या (ङ–8)1 के साथ मिलाकर समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत ।
9	(ङ–16)3	अन्तर्राज्यीय मार्ग	पटना से दुर्गापुर भाया–औरंगाबाद, हजारीबाग, धनबाद	श्री अरविन्द कुमार सिंह	BR-26PA-0315	3.00PM	5.10PM	वाहन का परिचालन समझौता के अनुसार पटना से दुर्गापुर भाया– औरंगाबाद, हजारीबाग, धनबाद किया जाना है, जिसकी दूरी समझौता भाया के अनुसार 344 कि0मी0 अंकित है, जिसपर आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्ति की गयी कि वास्तव में यह दूरी 344 कि0मी0 से अधिक है। अतः यह निर्णय लिया गया कि संचिका के माध्यम से दूरी का समाधान होने के उपरान्त विषयांकित मामले पर निर्णय लिया जायेगा । तब तक के लिए मामला स्थगित रहेगा ।
10	(ङ–16)4	अन्तर्राज्यीय मार्ग	पटना से दुर्गापुर भाया–औरंगाबाद, हजारीबाग, धनबाद	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	BR-26PA-0311	3.00PM	5.10PM	वाहन का परिचालन समझौता के अनुसार पटना से दुर्गापुर भाया– औरंगाबाद, हजारीबाग, धनबाद किया जाना है, जिसकी दूरी समझौता भाया के अनुसार 344 कि0मी0 अंकित है, जिसपर आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्ति की गयी कि वास्तव में यह दूरी 344 कि0मी0 से अधिक है। अतः यह निर्णय लिया गया कि संचिका के माध्यम से दूरी का समाधान होने के उपरान्त विषयांकित मामले पर निर्णय लिया जायेगा । तब तक के लिए मामला स्थगित रहेगा ।
11	(ङ–33)2	अन्तर्राज्यीय मार्ग	पूर्णियाँ से रायगंज भाया–दालकोला	श्री पलविन्दर सिंह	BR-11PA-6008	9.48AM	2.37PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के दालकोला से प्रस्थान का समय 4.10PM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों की सहमति के आधार पर दालकोला से प्रस्थान का समय 4.15PM करते हुए समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।

20/11/18
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

No 1/227/11/10

दिनांक 24.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–24.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
12	(क–2) 2	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**पटना से अम्बिकापुर** भाया– सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, गढ़वारोड, एवं रामानुजगंज	श्री मनोज कुमार	Ch No.MB1PBEHDXHAWH0789 En No.-HAHZ423634 Ch No.-MB1PBEHD2JAHH3732 En No.-HYHZ425755	-	-	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के समय सारणी पर आपत्ति। तदनुसार समय सारणी में आवश्यक संशोधन करते हुए पटना से प्रस्थान का समय 5:45 PM एवं अम्बिकापुर से प्रस्थान का समय 4:30 PM करते हुए समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
13	(ख–1) 3	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**रक्सौल से सिल्लीगुड़ी** भाया– मोतिहारी, दरभंगा, प्रतापगंज	श्री विजय कुमार शुक्ला	BR-06PC-9451 BR-06PD-7451	11.45 AM	11.45 AM	आवेदक वाहन स्वामी के प्रतिनिधि एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित। श्री मणीभूषण कुमार द्वारा मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1:28 PM तथा श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 11:45 AM पर आपत्ति की गयी। आवेदक एवं आपत्तिकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1:45 PM एवं सिलीगुड़ी से प्रस्थान समय 12:05 PM करते हुए, तदनुसार पूरे मार्ग पर संशोधन की शर्त के साथ समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
14	(ख--1) 10	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**रक्सौल से सिल्लीगुड़ी** भाया– मोतिहारी, दरभंगा, प्रतापगंज	श्री राम दिनेश सिंह	BR-06PD-5353 BR-06PD-4343	11.15AM	4.35PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1.25 PM पर आपत्ति। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता के आपसी सहमति के आधार पर मोतिहारी से प्रस्थान का समय 1:15 PM करते हुए समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
15	(ख–3) 19	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी** भाया–दरभंगा, प्रतापगंज	श्री चन्द्रभूषण शर्मा	BR-06PD-1327 BR-06PD-1326	07.30PM	07.30PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित। आवेदक के वाहनों के पक्ष में पूर्व से परमिट निर्गत रहने के संबंध में आपत्ति की गयी। आपत्ति अस्वीकृत। समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।

20/11/18
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

No-73/ 22/11/18

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारंभ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
16	(ख–4)11	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**छपरा से सिल्लीगुड़ी** भाया–दरभंगा, प्रतापगंज	श्री चन्द्रभूषण शर्मा	Ch.No.MAT449303J0E06596 En.No.-81E84483120 Ch.No.-MAT449303J0E05702 En.No.-81C84465682	1.15PM	3.50PM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के प्रस्तावित समय–सारणी में छपरा से प्रस्थान का समय 1:15PM पर आपत्ति की गयी। आपत्ति अस्वीकृत। समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
17	(ख–7) 1	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**सहरसा से सिल्लीगुड़ी** भाया–पूर्णियाँ, दालकोला	श्रीमति मीता शरत	Ch.No.-MAT751025JFE10412 En.No.3LNGDICR0DRY504583 BR-37P-1219	6.40AM	10.00AM	आवेदिका वाहन स्वामी के प्रतिनिधि एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित। आवेदिका के प्रस्तावित समय–सारणी में पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 11.05 AM पर आपत्ति की गयी। आपत्ति अस्वीकृत। समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
18	(ख–7) 3	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**सहरसा से सिल्लीगुड़ी** भाया–पूर्णियाँ, दालकोला	श्रीमति निधि कुमारी	BR-06PD-4058	7.00AM	7.30AM	आवेदिका वाहन स्वामी के प्रतिनिधि एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित। आवेदिका के प्रस्तावित समय–सारणी में पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 10:00 AM पर आपत्ति की गयी। आपत्ति अस्वीकृत। समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
19	(ख–7) 11	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**सहरसा से सिल्लीगुड़ी** भाया–पूर्णियाँ, दालकोला	श्री सुधांशु शेखर सिंह	BR-19GA-9549 BR-19P-9549	05.15AM	11.00AM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 8.45AM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों की सहमति के आधार पर पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 9.20 AM, तदुनसार पूरे मार्ग पर सशोधन की शर्त के साथ समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

No 1722/11110

दिनांक 24.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदनों की प्रस्तावित/प्रकाशित समय–सारणी पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–24.10.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित निर्णय(आदेश) निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	मद संख्या	प्रकार	मार्ग का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	प्रारम्भ विन्दु का प्रस्थान समय	पहुँच विन्दु का प्रस्थान समय	निर्णय
20	(ख–8) 6	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी** भाया–ठाकुरगंज	श्रीमती सुचिता चौधरी	BR-31GA-9696 BR-31PA-9696	8.30AM	7.00AM	आवेदिका वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदिका के सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 7.00 AM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदिका दोनों की सहमति के आधार पर सिलीगुड़ी से प्रस्थान का समय 7.10 AM करते हुए समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
21	(ख–14) 5	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**पूर्णियाँ से गलगलिया** भाया–किशनगंज, दालकोला	श्री सुभाष चन्द्र	BR-11PA-7507	11.30AM	6.35AM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आवेदक के पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 11.30AM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों की सहमति के आधार पर पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 11.25 AM करते हुए समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।
22	(ख–14) 7	अन्तर्राज्यीय मार्ग	**पूर्णियाँ से गलगलिया** भाया–किशनगंज, दालकोला	श्री अतुल कृष्ण माधव	BR-11PB-2865	2.24PM	8.05AM	आवेदक वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता दोनों उपस्थित। आपत्तिकर्ता श्री सुभाष चन्द्र द्वारा आपत्ति वापस ली गयी। मो0 सफकात आलम द्वारा आवेदक के पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 2.24PM पर आपत्ति। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों की सहमति के आधार पर पूर्णियाँ से प्रस्थान का समय 3.08 PM, तदनुसार पूरे मार्ग पर संशोधन की शर्त के साथ समझौता भाया के अनुरूप एक स्थायी परमिट स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<u>दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही में लंबित मामलों की राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक–24.10.2018 को हुयी सुनवाई की कार्यवाही :–</u>

बिहार–पश्चिम बंगाल अन्तर्राज्यीयमार्गों पर निर्गत स्थायी परमिट के **मार्ग विस्तार** पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या–(ख–1)खेसर से कोलकाता मार्ग पर श्री बालानन्द झा के वाहन संख्या–BR-10PA-0898 एवं BR-10PA-0899 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–Psts.–09/2018 (WB)के स्वीकृत मार्ग को खेसर से असरगंज तक मार्ग विस्तार हेतु परमिटधारी/वाहन स्वामी श्री बालानन्द झा द्वारा आवेदन दिया गया है । उक्त परमिट के पुराने समय सारणी सहित विस्तारित मार्ग असरगंज से खेसर हेतु प्रस्तावित समय सारणी उपलब्ध कराया गया है । तारापुर में अतिरिक्त ठहराव दर्शाया गया है । आवेदन के साथ विस्तारित मार्ग की दूरी प्रदर्शित करने हेतु नक्शा संलग्न किया गया है जिसके अनुसार विस्तारित मार्ग की दूरी 23 कि0मी0 दर्शायी गयी है । असरगंज से खेसर तक विस्तारित मार्ग का असरगंज से प्रस्थान का समय 1.40 PM एवं खेसर से प्रस्थान का समय 8.15 AM है।

बैठक में आवेदक द्वारा पथ निर्माण विभाग से सम्पुष्ट मार्ग का नक्शा उपलब्ध कराने के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त के स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया ।

निर्णयः– मार्ग विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह-सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही में लंबित मामलों की राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक–24.10.2018 को हुयी सुनवाई की कार्यवाही :–

बिहार–पश्चिम बंगाल अन्तर्राज्यीयमार्गों पर निर्गत स्थायी परमिट के **मार्ग विस्तार** पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या–(ख–2)खेसर से **कोलकाता** मार्ग पर **श्री बालानन्द** झा के वाहन संख्या–BR-51P-0343 एवं BR-51P-0341 **के पक्ष** में निर्गत स्थायी परमिट सं0–Psts.–62/2017 (WB)के **स्वीकृत मार्ग को खेसर से रामपुर** तक मार्ग विस्तार हेतु परमिटधारी/वाहन स्वामी **श्री बालानन्द झा** द्वारा आवेदन दिया गया है । उक्त परमिट के पुराने समय सारणी सहित विस्तारित मार्ग रामपुर से खेसर हेतु प्रस्तावित समय सारणी उपलब्ध कराया गया है । संग्रामपुर, बेलहर एवं साहेबगंज में अतिरिक्त ठहराव दर्शाया गया है । आवेदन के साथ विस्तारित मार्ग की दूरी प्रदर्शित करने हेतु नक्शा संलग्न किया गया है जिसके अनुसार विस्तारित मार्ग की दूरी 23 कि0मी0 दर्शायी गयी है । रामपुर से खेसर तक विस्तारित मार्ग का रामपुर से प्रस्थान का समय 2.00 PM एवं खेसर से प्रस्थान का समय 8.40 AM है।

बैठक में आवेदक द्वारा पथ निर्माण विभाग से सम्पुष्ट मार्ग का नक्शा उपलब्ध कराने के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त के स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया ।

निर्णयः– मार्ग विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर	जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

73/22/11/18

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही में लंबित मामलों की राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक–24.10.2018 को हुयी सुनवाई की कार्यवाही :–

बिहार–पश्चिम बंगाल अन्तर्राज्यीयमार्गों पर निर्गत स्थायी परमिट के मार्ग विस्तार पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या–(ख–3)खेसर से कोलकाता मार्ग पर श्री बालानन्द झा के वाहन संख्या–BR-51-8908 एवं BR-51-8909 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–Psts.–71/2017 (WB)के स्वीकृत मार्ग को खेसर से असरगंज तक मार्ग विस्तार हेतु परमिटधारी/वाहन स्वामी श्री बालानन्द झा द्वारा आवेदन दिया गया है । उक्त परमिट के पुराने समय सारणी सहित विस्तारित मार्ग असरगंज से खेसर हेतु प्रस्तावित समय सारणी उपलब्ध कराया गया है । तारापुर में अतिरिक्त ठहराव दरर्शाया गया है । आवेदन के साथ विस्तारित मार्ग की दूरी प्रदर्शित करने हेतु नक्शा संलग्न किया गया है जिसके अनुसार विस्तारित मार्ग की दूरी 23 कि0मी0 दर्शायी गयी है । असरगंज से खेसर तक विस्तारित मार्ग का असरगंज से प्रस्थान का समय 2.50 PM एवं खेसर से प्रस्थान का समय 8.55 AM है।

बैठक में आवेदक द्वारा पथ निर्माण विभाग से सम्पुष्ट मार्ग का नक्शा उपलब्ध कराने के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त के स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया ।

निर्णयः– मार्ग विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर	जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही में लंबित मामलों की राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक–24.10.2018 को हुयी सुनवाई की कार्यवाही :–

खेसर से कोलकाता अन्तर्राज्यीयमार्ग पर निर्गत स्थायी परमिट सं0–62/2017(WB) पर समझौता भाया के अनुसार ठहराव के साथ जोड़ने एवं समय–सारणी संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या–(ख–4)खेसर से कोलकाता मार्ग पर श्री बालानन्द झा के वाहन संख्या–BR-51P-0341 एवं **BR-51P-0343 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–Psts.–62/2017 (WB)के स्वीकृत मार्ग खेसर से** कोलकाता में समझौता भाया के अनुसार ठहराव जोड़ने **हेतु परमिटधारी/वाहन स्वामी श्री** बालानन्द झा द्वारा आवेदन दिया **गया है। उक्त परमिट खेसर से** कोलकता भाया–दुमका, सेउरी, वर्द्धमान होते हुए **निर्गत है। बिहार–पश्चिम** बंगाल के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौता के अनुसार **खेसर से** कोलकता मार्ग भाया–कटोरिया देवघर, दुमका, सेउरी, वर्द्धमान है। वाहन स्वामी द्वारा समर्पित समय–सारणी में कटोरिया एवं देवघर में **उल्लेख नहीं** रहने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा उक्त परमिट का **निर्गमन भाया**–दुमका, सेउरी, वर्द्धमान होते हुए किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए स्थायी परमिट सं0–Psts.–62/2017 (WB)के पक्ष में निर्गत समय सारणी को संशोधित करते हुए समझौता भाया के अनुसार कटोरिया एवं देवघर ठहराव जोड़ने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।

बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त को विषयांकित मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया ।

निर्णयः– समझौता भाया के अनुसार समय–सारणी निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक 06.07.2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही में लंबित मामलों की राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक–24.10.2018 को हुयी सुनवाई की कार्यवाही :–

बिहार–पश्चिम बंगाल के अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के स्वामित्व हस्तान्तरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या–(ख–7) पटना से सिलीगुड़ी भाया– मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहन स्वामी श्रीमती सेनु सिंह एवं श्री चन्द्रभूषण शर्मा के वाहन सं0–BR-09PA-8221 एवं BR-01PA-2542 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या–Psts.–07/1989 (WB) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि 12.11.2019 तक है । उक्त स्थायी परमिट संख्या–Psts.–07/1989 (WB) के एक परमिटधारी/वाहन स्वामी श्रीमती सेनु सिंह द्वारा उनके संबंधी श्री संजीव कुमार सिंह के नाम से उक्त परमिट के स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु आवेदन दिया गया है । उक्त वाहन के निबंधन प्रमाण पत्र में श्री संजीव कुमार सिंह का नाम हस्तान्तरित किये जाने संबंधी निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ परमिट स्वामित्व हस्तान्तरण शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैः–

1.	वाहन सं0–BR-09PA-8221
2.	मॉडल– 2017
3.	व्हील वेस–5545,
4.	बैठान क्षमता– 61
5.	कर– 29.06.2018
6.	दुरूस्ती– 30.03.2019
7.	बीमा– 31.01.2019
8.	प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संलग्न नहीं है ।
9.	शपथ पत्र संलग्न है ।
10.	अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है ।
11.	आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि–20.06.2018

अतः श्रीमती सेनु सिंह के वाहन सं0–BR-09PA-8221 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या–Psts.–07/1989 (WB) के स्वामित्व हस्तान्तरण पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–82 के आलोक में प्राधिकार का निर्णय आपेक्षित है ।

प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रीमती सेनु सिंह एवं श्री संजीव कुमार सिंह के संबंध का प्रमाण उपलब्ध कराने पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

निर्णयः– संबंध का प्रमाण उपलब्ध कराने पर परमिट का स्वामित्व हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृत ।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले सहायक का हस्ताक्षर | जाँच करने वाले प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर | जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बैठक की कार्यवाही से भिन्न अन्य विविध मामले :–

दिनांक–24.10.2018 एवं 31.10.2018 को परमिट की स्वीकृति के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्णय लिया गया कि सुनवाई के दौरान स्वीकृत परमिटों के निर्गमन हेतु वाहन स्वामियों द्वारा दिनांक–20/12/2018 तक सम्पूर्ण अद्यतन वांछित कागजात/शुल्क समर्पित करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत परमिटों के निर्गमन हेतु समर्पित अधिभार आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजातों/शुल्क की सूची उक्त कार्यवाही के साथ ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है।

यदि वाहन स्वामी द्वारा दिनांक–20/12/2018 तक परमिट निर्गमन हेतु सम्पूर्ण अद्यतन कागजात /शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उसके अगले दिन दिनांक–21/12/2018 से उनका परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना

कार्यवाही बनाने वाले
सहायक का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले प्रशाखा
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जाँच करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर